

# भारतीय गैर न्यायिक

दस  
रुपये



TEN  
RUPEES  
Rs.10

INDIA NON JUDICIAL

उत्तराखण्ड UTTARAKHAND

10AA 992499

28 NOV 2011

प्रारूप-26

(नियम 4क देखिए)

16-विकासनगर विधान सभा

निर्वाचन क्षेत्र से

(निर्वाचन क्षेत्र का नाम)

उत्तराखण्ड विधान सभा (सदन का नाम) के लिये निर्वाचन के लिए रिटर्निंग आफिसर के समक्ष अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाला शपथ-पत्र।

मैं सूरत सिंह पुत्र स्व० श्री तेज सिंह, आयु 51 वर्ष, जो ग्राम भोजवाला, पो० विकासनगर (पश्चिमीवाला), तहसील विकासनगर, जिला देहरादून का निवासी हूँ और उपरोक्त निर्वाचन में अभ्यर्थी हूँ, सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ/शपथ पर निम्नलिखित कथन करता हूँ :-

1. मैं ऐसे किसी लम्बित मामले में दो वर्ष या अधिक के कारावास से दंडनीय किसी अपराध (अपराधों) का अभियुक्त नहीं हूँ जिसमें सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा आरोप विरचित किए गये हैं।

(यदि अभिसाक्षी ऐसे किसी अपराध (अपराधों) का अभियुक्त हैं तो वह निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करेगा) :

- (i) मामला/प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या/संख्याएं (i) 1407/2011, (ii) 373/2010...
- (ii) पुलिस थाना (थाने) सहसपुर, विकासनगर, जिला (जिले) जिला देहरादून, राज्य उत्तराखण्ड

...2...

# भारतीय गैर न्यायिक

दस  
रुपये  
रु. 10



TEN  
RUPEES  
Rs. 10

INDIA NON JUDICIAL

-2-

उत्तराखण्ड (iii) UTTARAKHAND

28 NOV 2011

सम्बन्धित अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएं) और अपराध (अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके (जिनके) लिए अभ्यर्थी आरोपित किया गया है ..... (1) 341 आई.पी.सी. एवं 7 क्रिमिनल लॉ एमेन्डमेंट एक्ट (2) धारा 147, 341, 353, 307, 427, 504, 506 आई.पी.सी. व 3 लोक सम्पत्ति को नुकसान पहुंचाना।

न्यायालय जिसके (जिनके) द्वारा आरोप (आरोपों) की विरचना की गई अ0सं0 1407/2011, ज0एम0 विकासनगर

तारीख (तारीखें) जिनको आरोप विरचित किया गया था/किये गये थे ..... कया सभी या कोई कार्यवाही किसी सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा रोकी गई है.. अ0सं0 373/2010 में सी0बी0सी0आई0डी0 जांच चल रही है।

मुझे किसी अपराध (अपराधों) (लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 (1951 का 43) की धारा 8 की उपधारा (1) या उपधारा (2) में निर्दिष्ट या उपधारा (3) के अन्तर्गत आने वाले किसी अपराध (अपराधों) से भिन्न के लिए सिद्धदोष ठहराया गया है/नहीं ठहराया गया है और एक वर्ष या अधिक के लिए कारावास से दंडादिष्ट किया गया है/नहीं किया गया है।

(यदि अभिसाक्षी उपर्युक्त रूप में सिद्धदोष ठहराया गया और दंडादिष्ट किया गया है तो वह निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करेगा)

- (I) मामला/प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या/संख्याएं ..... लागू नहीं .....
- (II) न्यायालय जिसने दण्डित किया है ..... लागू नहीं .....
- (III) पुलिस थाना (थाने) ... लागू नहीं ... जिला (जिले) ... लागू नहीं ... राज्य ... लागू नहीं ...
- (IV) सम्बन्धित अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएं) और उस अपराध (उन अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके (जिनके) लिए अभ्यर्थी आरोपित किया गया है ..... लागू नहीं .....
- (V) तारीख (तारीखें) जिनको दंडादेश सुनाया गया था/सुनाए गये थे ..... लागू नहीं .....

...3...

TEN  
RUPEES

RS. 10

OFFICIAL

-3-



(VI) क्या दंडादेश सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा रोका गया है/रोके गये हैं .....  
लागू नहीं.....

स्थान :- विकासनगर (देहरादून)

अभिसाक्षी के हस्ताक्षर

तारीख :- 12.01.2012

सत्यापन

मैं ऊपर नामित अभिसाक्षी, यह सत्यापित और घोषित करता हूँ कि इस शपथ पत्र की अन्तर्वस्तु मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य और सही है और इसका कोई भाग मिथ्या नहीं है और कोई तात्विक बात छिपायी नहीं गई है।

विकासनगर (देहरादून) स्थान पर आज तारीख 12.01.2012 को सत्यापित किया।

अभिसाक्षी के हस्ताक्षर

नोट :- इस प्ररूप के वे स्तम्भ जो अभिसाक्षी को लागू नहीं हैं, काट दिया जाये।

This affidavit is sworn before me by  
Shri.....  
who is identified by Shri.....  
at Teh. Vikas Nagar.....

(B. D. SAINI)  
Advocate & NOTARY, Vikas Nagar.